न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 166/2023

फूल सिंह पुत्र बृजलाल जाति जाटव निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला डीग

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :– 11/03/2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि हाल खसरा नम्बर 894/0.03, 909/0.07, 817/0.37 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। खाता संख्या 1263 संलग्न जमाबन्दी 2075 से 78 में दर्ज सहकाश्तकारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई दादरसी नहीं चाही गई है। आराजी मुतदाविया पूर्व में वादी के दादा सेडू पुत्र गोपा की गैरमौरूसी की आराजी थी जिस पर सम्पूर्ण जीवनकाल तक काश्त की जाती रही है हाल में वादी की कब्जा काश्त है। इस प्रकार आराजी बुर्जर्गान की पुश्तैनी आराजी है आराजी मुतदाविया बुजुर्गान की गैर मौरूसी की आराजी है और मौके पर वादी की फसल खडी हुई है। इस प्रकार आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है आराजी मुतदाविया पर सेडू पुत्र गोपा दादा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही काबिज काश्त है और लगातार रूप से आराजी पर फसल बोई जा रही है एवं आज भी मौके पर वादी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार नही होकर गैर खातेदार दर्ज कर रखा है। जबकि कानूनन वादी को मुताबिक हिस्सा खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था। आराजी संलग्न रिकॉर्ड से साबित है। कि पुश्तैनी आराजी है। वादी को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार पहाडी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 09/10/2023 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है। संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2038 लगायत 2041 में आराजी वादी के बुजुर्गान सेडू पुत्र गोपा पट्टेदार के रूप में दर्ज है। जिस पर वादी के बुजुर्गान ने कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

की और उसके बाद वारिसान वादी का मुताबिक हिस्सा लगातार कब्जा चला आ रहा है। आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही बुजुर्गान वादी की गैरखातेदारी की आराजी थी और अब वादी के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज है। मुताबिक कानून वादी को खातेदारी दिया जाना आवश्यक है। आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है। आराजी कस्टोडियन नही है एवं धारा 16 के तहत नहीं आती है एवं आराजी पर वादी फसल बोते है। अतः वादी को हिस्सानुसार खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादी के बुर्जुगान की आराजी है।

.......वादी

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादी राजस्व रिकॉर्ड में पट्टेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार करा पाने के अधिकारी है।

.......वादी

3:– दादरसी :–

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 फूलसिंह, पी0डब्लू0 2 हरीसिंह, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2034 लगायत 2037, 2038 लगायत 2041, 2043लगायत 2046, 2051 लगायत 2054, 2055 लगायत 2058, व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 तथा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 लगायत 2012 , 2013 लगायत 2016, 2059 लगायत 2062, व मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादी के बुर्जुगान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। विवादित आराजी बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड अनुसार आराजी पूर्व में वादी के बुजुर्गान की कब्जे काश्त की आराजी रही है। उसके उपरान्त वादी उक्त आराजी पर गैरखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पहाडी के जबाब के मुताबिक आराजी वादी के बुजुर्गान की पट्टेदारी की आराजी थी। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादी राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है और आज भी विवादित आराजी पर वादी का ही मुताबिक हिस्सा कब्जा है। दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2007 (1) पेज संख्या 599 पेश की है। इसमें राजस्थान काश्तकार अधिनियम 2015 धारा 15 ए 230 खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार प्रदान किया जाना । यदि किसी मामले में व्यक्ति का नाम अधिनियम के लागू होने के समय जमाबन्दी के खातेदार उपखातेदार या मौरोसी खातेदार के रूप दर्ज है तो वह धारा 15 ए (3) के अन्तर्गत स्वतः खातेदार अधिकार प्राप्त कर लेगा अतः वादी को आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के कानूनन अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को हाल खसरा नम्बर 894/0.03, 909/0.07, 817/0.37 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी डीग (राज0)
पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 166/2023
फूल सिंह पुत्र बृजलाल जाति जाटव निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला डीग

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 .... .व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को हाल खसरा नम्बर 894/0.03, 909/0.07, 817/0.37 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/03 सन् 2024 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
मुहर
ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		